

न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम (कवर्धा)
(पीठासीन अधिकारी - वंदना वर्मा)

- :: अधिनिर्णय ::-

(आज दिनांक 12/11/22 को घोषित)

अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छापूर्वक अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे मो.या.अधि. की धारा 50/177 Cr.P.C. के अपराध में दोषी ठहराया जाता है।

परिणाम स्वरूप अभियुक्त को मोटरयान अधि० की धारा 50/177 Cr.P.C. के अपराध में 1000 रु० (अक्षरी १००० रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर उसे 01

दिन का साधारण कारावास भुगताया जाए।

साकिन-कबीरधाम(कवर्धा)

दिनांक-12/11/22



(वंदना वर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-कबीरधाम(कवर्धा)